न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/82/2013

उनवान

1. भवानी सिंह पिता कालू सिंह राणावत मृतक के बजाय :–
   1/1 लक्ष्मण सिह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
   1/2 गोपाल सिह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/3 नारायण सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/4 पर्वत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/5 जसवंत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/6 ईश्वर सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/7 रणजीत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/8 हरि सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/9 श्रीमती लाड कंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/10 श्रीमती भूरकंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/11 श्रीमती नाथकंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह सिंह गोदपुत्र देवी सिह राजूपत निवासी धोड तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2012

अभिभाषक : 1. श्री मनीष कांटिया , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1
3. श्री ओमप्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 22.5.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धोड तहसील जहाजपुर में कृषि भूमि आराजी नम्बर 135, 136, 137, 166, 167, 239, 992, 1075, 1169, 165 कुल किता 10 रकबा 23 बीघा 19 बिस्वा भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के खाते में दर्ज है। इसके अलावा आता चाह नम्बर 168 रकबा 4 बिस्वा में वर्तमान राजस्व रेकार्ड में 1/4 हक व हिस्सा अकेले प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दर्ज है।

2. पूर्व राजस्व अभिलेखों में उक्त आराजियात में 1/2 हक व हिस्सा देबी सिंह पिता कालू सिंह का था । देवी सिंह के जीवन काल में देबी सिंह व उसकी पत्नी ने वादी को गोद लिया तथा वादी के माता–पिता ने वादी को देबी सिह के गोद रख दिया तभी से वादी देबी सिंह का गोदपुत्र हो गया । इस कारण देबी सिंह की जायदाद बहैसियत गोद पुत्र वारिस हो गया । नंदकंवर की मृत्यु के उपरान्त से उक्त भूमि यानि 1/2 हक हिस्से पर वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर देबीसिंह को लाऔलाद बता देवी सिंह की पत्नी की कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने व नन्दाकंवर पुत्री कालू सिंह के नाम खुलवा लिया एवं नंदा कंवर पुत्री कालू सिंह से अपने पक्ष में रिलीज डीड करवा लिया । विधि अनुसार नंदा कंवर का वारिस प्रतिवादी संख्या 1 न होकर वादी है। इस कारण नंद कंवर की मृत्यु के पश्चात उसके हिस्से की कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। दिनांक 10.9.2003 को प्रतिवादी संख्या 1 ने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वादी के कब्जेकाश्त में जबरन दखल करने की कोशिश की व कहा कि सम्पूर्ण भूमि मेरे नाम है। इस कारण कब्जा करूंगा । तब वादी को जानकारी हुई। अतः वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजियात में वादी को 1/2 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं आता चाह नम्बर 168 के 1/8 हक हिस्से का भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया गया । जिससे व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दर्ज प्रकरण की अपीलार्थी को जानकारी नही थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मन/नोटिस की तमिल अपीलार्थी को नहीं हुई थी। तामिल कुनिन्दा ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। अपीलार्थी दस्तखत करना नहीं जानता है वह अंगूठा निशानी लगाता है। पटवारी हल्का से नकल लेने पर जानकारी हुइ तब जाकर अपीलार्थी ने निर्णय की नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने कथनों की ताईद में न्यायिक उद्धरण आर आर टी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2011(2) पेज 1350 एवं आर आर टी 2002 (1) पेज 648 प्रस्तुत किये।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। उनका तर्क है कि देबीसिंह जी ने अपने जीवनकाल में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी लक्ष्मण सिंह को कभी गोद नहीं रखा था। अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने यह तथ्य साबित नहीं कराया है कि उसके पिता ने उसको देबीसिह के गोद रखा हो। वादी ने अपने वास्तविक माता–पिता का नाम भी वाद पत्र में अंकित नहीं किया है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी को देबीसिह का गोद पुत्र मानकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि सजरे के अनुसार कालू सिंह के वारिसान के रूप में उनकी पत्नी नंदाकंवर , पुत्र देबीसिंह एवं पुत्र भवानी सिंह थे। कालू सिह की मृत्यु के उपरान्त 1/2 हिस्सा देबी सिंह एवं 1/2 हिस्सा भवानी सिंह के नाम विरासत से दर्ज किया गया । देबीसिंह की मृत्यु के बाद देबीसिंह के खातेदारी हक की आराजी भवानी सिंह आत्मज कालू सिंह एवं नंदा कंवर पुत्री कालूसिंह के नाम दर्ज हुई थी। उसके उपरान्त नंदा कंवर ने उसके हिस्से में आई देबी सिंह की आराजियात को भवानी सिंह प्रत्यर्थी संख्या 1/अपीलार्थी के पक्ष में रिलीज डीड निष्पादित की थी। जिससे देबी सिंह के 1/2 हिस्सा भवानी सिंह के नाम दर्ज हुआ एवं पूर्व में विरासत से कालू सिंह की मृत्यु के समय 1/2 हिस्सा भवानी सिंह के नाम आया । इस प्रकार कालू सिंह मूल पुरूष का सम्पूर्ण हिस्सा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

विधिसम्मत तरीके से भवानी सिंह के नाम खातेदारी हक से दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी को नंदकंवर जो कि भवानी सिह की बहिन होकर वादी की भुआ थी । जिसके द्वारा भवानी सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित कराई थी। उसे निरस्त कराने के लिए सिविल न्यायालय में वाद पत्र दायर कर दाद हासिल करनी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बगैर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थीगण की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी भवानी सिंह का पुत्र था एवं उसके पिता द्वारा ही देबीसिंह आत्मज कालू सिंह के यहॉ गोद रखा गया था। देबी सिंह आत्मज कालू सिंह एवं उनकी पत्नी नंद कंवर की मृत्यु के बाद वादी के गोद पिता के हिस्से की 1/2 खातेदारी भूमि पर वादी काबिज हो काश्त करता आ रहा है। परन्तु प्रत्यर्थी संख्या 1/अपीलार्थी ने देबी सिह को गलत तौर पर लाऔलाद बताकर उनके हिस्से की आराजियात को स्वयं एवं अपनी बहिन नंदा कंवर के नाम दर्ज करवा ली एवं उसके उपरान्त नंदा कंवर से रजिस्टर्ड रिलीज डीड से अपने नाम करवा कर कालू सिंह की सम्पूर्ण आराजियात को अपने नाम पर दर्ज करवा ली । जिसका प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी को कोई हक अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी सख्या 1/वादी ने अपने वाद को बखूबी साबित कराया एवं देबी

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सिह जी के यहॉ गोद जाने के तथ्यों को साक्ष्य, बयानों से साबित कराया है। वाद पत्र की ताईद में पोथी एवं राशन कार्ड की प्रति भी प्रदर्श कराई है। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अधीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपलार्थीगण खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अपीलाधीन प्रकरण में मूल पुरूष कालू सिंह के दो पुत्र देबी सिह, भवानी सिंह एवं पुत्री नंदा कंवर थे। कालू सिंह की मृत्यु के उपरान्त विरासत से 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार देबी सिंह एवं शेष 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार भवानी सिंह राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये गये। चूंकि देबी सिह के कोई जाईन्दा संतान नही थी। इसलिए देबी सिह ने अपने भाई भवानी सिंह के पुत्र/वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 को सामाजिक रिति–रिवाज से गोद लिया । देबी सिंह एवं उनकी पत्नी नंद कंवर की मृत्यु के उपरान्त देबीसिंह का 1/2 हिस्सा गोद पुत्र वादी लक्ष्मण सिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना था। परन्तु देबी सिंह की मृत्यु के उपरान्त उसे लाऔलाद मानकर देबी सिह के भाई भवानी सिंह/प्रतिवादी संख्या 1/अपीलार्थी एवं कालू सिंह की पुत्री नंदा कंवर जो कि भवानी सिंह की बहित थी को खातेदार काश्तकार विरासत से दर्ज किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गय । उसके उपरान्त नंदा कंवर पुत्री कालू सिंह ने देबी सिह के हिस्से की भूमि जो उसके नाम विरासत से दर्ज की गई उसे भवानी सिंह आत्मज कालू सिंह के पक्ष में रजिस्टर्ड रिलीज डीड निष्पादित की ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 ने स्वयं को देबी सिह के गोद जाने के तथ्य को ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र, राशन कार्ड की प्रति, गवाहान के बयान, बडवा की पोथी से बखूबी साबित कराया जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद स्वीकार कर देबीसिंह आत्मज कालू सिंह के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकार की भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया । अधीनस्थ न्यायालय में गवाहान ने देबी सिह के यहॉ वादी/लक्ष्मण सिंह को गोद रखने के तथ्य की पुष्टि की है। चूंकि जब वादी/लक्ष्मण सिंह को देबी सिह के यहॉ गोद रखा गया एवं वादी के द्वारा ही अपने गोद पिता का क्रियाकर्म किया गया । राशन कार्ड में भी वादी के पिता का नाम देबी सिंह दर्ज है। जहॉ तक नंदा कंवर के हिस्से की भूमि की बात है उसकी खातेदारी का अंकन जमाबंदी में नहीं था। लेकिन देवीलाल की विरासत के रूप में आये हिस्से 1/2 में से ही उसे व भवानी सिंह को 1/2, 1/2 हिस्सा मिला । दोनों का विरासत से दर्ज किया जाना ही उचित नहीं था तो उसका हिस्सा भी गोद पुत्र प्रत्यर्थी के हिस्से में ही रहना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में देबीसिंह के खातेदारी हक की आराजियात का गोद पुत्र होने के नाते वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2012 को यथावत रखा जाता है। ।पर्चा डिक्री मूर्तिब किया जावे।

14. निर्णय आज दिनांक 22.5.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

22/5/18

(निमिषा गुप्ता)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए/82/2013

उनवान

1. भवानी सिंह पिता कालू सिंह राणावत मृतक के बजाय :–
   1/1 लक्ष्मण सिह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
   1/2 गोपाल सिह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/3 नारायण सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/4 पर्वत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/5 जसवंत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/6 ईश्वर सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/7 रणजीत सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/8 हरि सिंह पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/9 श्रीमती लाड कंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/10 श्रीमती भूरकंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   1/11 श्रीमती नाथकंवर पिता स्व0 भवानी सिंह निवासी धोड
   तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह सिंह गोदपुत्र देवी सिह राजूपत निवासी धोड तहसील जहाजपुर, जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जहाजपुर , जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर के प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2012

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/82/2013** मे **उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्की जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 22.5.2018 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मनीष कांटिया वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया की उपस्थिति मे दिनांक 22.5.2018 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.11.2012 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 22.5.2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्की जारी की जाती है।

22/5/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेंण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस